सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त का कार्यालय
**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS**
हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय
**AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**
देवनहल्ली, बेंगलूर /**DEVANAHALLI BENGALURU– 560300.**

**लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE NO.52/2020-दिनांक DATED:19.09.2020**
**दस्तावेज पहचान सं / DIN: 20200972MP00008JB711**

विषय: निर्यात घोषणा में यू.क्यू.सी यों को सरल बनाने - एस बी यो से संबंधित लाईसेंस में कुछ छूट देने के संबंध में

**Subject: - Streamlining of UQCs in Export Declarations – Certain relaxations to License SBs - Reg.**

सभी नियाग्तकर्ता, आयातकर्ता, कोरियर कंपनियों एवं अन्य सभी पणधारियों का ध्यान इस आयुक्तालय द्वारा आगम बिल एवं लदान बिल में यनिट क्वांटिटी कोड की सरलीकरण को सूचित करते हुए जारी की गई दिनांक 19.08.2020 के लोक सूचना की ओर आकर्षित किया जाता है ।

Attention of the Importers, Exporters, Courier Companies and all other Stakeholders is invited to the Public Notice No.45/2020, dated.19.08.2020, issued by this Commissionerate, informing streamlining of Unit Quantity Codes (UQCs) in the Bills of Entry and Shipping Bills.

2. इस संबंध में दिनांक 18.09.2020 के सलाह 35/2020 सी.बी.आई.सी के प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन निदेशालय द्वारा दिनांक 18.09.2020 को सलाह सं 35/2020 जारी किया गया है और उसका विवरण सभी संबंधित को समर्थन एवं अनुपालन हेतु सूचित किया जा रहा है ।In this context, Advisory No: 35/2020, dated.18.09.2020, is issued by the Directorate of Systems and Data Management, CBIC and the contents of the

same are brought to the notice of all concerned for adherence and compliance.

2.1 आयात एवं निर्यात घोषणा संबंधी यूक्यमसीयों के सरलीकरण के संबंध में आई.सी.ई.एस द्वारा दिनांक 17.8.2020 के सलाह सं 29/2020 की ओर ध्यानाकर्षित किया जाता है । यह डाटा के मानकीकरण एवं मल्यांकन सबंधी पहलुओं की निगरानी हेतु किया गया है ।

Reference is invited to the ICES Advisor 29/2020 dt 17.08.2020 on Streamlining of UQCs for import and export declaration. This has been done for data standardization as well as better monitoring of valuation related aspects.

2.2. कुछ निर्यातकर्ताओं से संबंधित डी.ई.ई.सी/ई.पी.सी.जी लाईसेंस में दिये गए निर्यात वस्तु मानक पीक्यूसी में निर्धारित से अलग होने के कारण रिवार्ड लदान बिल को दायर करने में उन्की असमर्थता को व्यक्त करते हुए प्रेषित अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है , क्योंकि सिस्टम में लदान बिल में दिये गए वस्तु संबंधी यू.क्यू.सी और लाईसेंस में दिये यू.क्यू.सी की समरूपता को जांच करने के लिए सुविधा है । ऐसे लाईसेंस को संशोधन करके मानक यू.क्यू.सी के साथ इलेक्ट्रानिकली संप्रेषित करने के लिए डी.जी.एफ.टी से अनुरोध किया गया है । दिनांक 14.9.2020 के व्यापार सूची के जरिए डी.जी.एफ.टी ने यह आश्वासन दिया है भविष्य में सारा लाईसेंस , आई.सी.ई.एस के उपर्युक्त सहला के अनुसार मानक यू.क्यू.सी में ही जारी किया जाएगा । पूर्व रूप से गैर मानक यूक्यूसी सहित जारी किये गए लाईसेंस के लिए दिनांक 30.10.2020 तक छूट के लिए अनुरोध किये हैं ।

Representations were received from certain exporters on the inability to file reward Shipping Bills where the UQC of the export item in the corresponding DEEC/EPCG license was other than the prescribed standard UQCs since System has a check that the item UQC in the Shipping Bill and that in the license should be the same. DGFT was requested to amend such

licenses and re-transmit electronically with standard UQCs. Vide Trade Notice 26/2020-21 dated 14.09.2020, DGFT has assured that all future licenses will be issued only in standard UQCs as per the above ICES advisory. For the licenses already issued with non-standard UQCs, they have requested for a relaxation till 30.10.2020.

2.3. तदनुसार सिस्टम में जारी किये गए लाईसेंस के साथ सामंजस्य न होनेवाले उक्त निर्यात वस्तु के संबंध में दायर किये जानेवाले लदान बिल को सवीकार करने हेतु कुछ बदलाव किया गया है । बहरहाल , निर्यातकर्ताओं को लदान बिल के वस्तु ब्यौरा में मानक यूक्यूसी को ही घोषणा करनी चाहिए । लाईसेंस ब्यौरा में लाईसेंस यूक्यूसी के अनुसार बजन को देना चाहिए ।

Accordingly, changes have been made in the System to allow filing of Shipping Bills where the item UQC does not match with the UQC for that export item in the given license. However, exporters should continue declaring standard UQCs only in the item table of the Shipping Bill. In the license table, the quantity should be given as per the license UQC.

3. उक्त छूट दिनांक 30.10.2020 तक दायर किये जानेवाले लाईसेंस के लिए मात्र दी जाएगी ।

The above relaxation is given only for license Shipping Bills filled till 30.10.2020.

4. अधिकारियों के लिए इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के अनुसार ली जानेवाली कार्रवाई स्थायी आदेश के रूप में माना जाना है ।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

5. उपर्युक्त सभी संबंधित को सूचित किया जा रहा है । कुछ तकलीफ हो तो अपर आयुक्त, एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो कांप्लेक्स , आयुक्तालय, देवनहल्ली, बेंगलूरु को निम्न लिखित ई मेल पता में सूचित किया जा सकता है । E-mail-:cusaccblr.tech@gov.in.

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of The Additional Commissioner of Customs, Air Port and Air Cargo Complex Commissionerate, Devanahalli, Bengaluru, E-mail-:cusaccblr.tech@gov.in.

अशोक

**(अशोक/ASHOK)**

प्रधान आयुक्त /**PRINCIPAL COMMISSIONER**

फाईल सं /Issued from File C.No. VIII/48/97/2020 BACC TECH pt file 2 के तहत जारी किया जाता है

**प्रति प्रस्तुत /Copy submitted to:**

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु, अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru.

Copy to:

1एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय, बेंगलूरु के सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त
All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru

2) फेडरेशन ऑफ कर्नाटका , चेंबर ऑफ कामर्स एवं उद्योग(एफ.के.सीसीआई) सं 9996, केंपेगौडा रोड, गांधीनगर, बेंगलूरु/ Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru.

3)बेंगलूरु सीमा शुल्क ब्रोकर्स संगठन, 71, कार्गो विल्लेज, बी ब्लाक, बेंगलूरु ,अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट , देवनहल्ली , बेंगलूरु

Bangalore Customs Brokers Association, No.71, Cargo Village, B-Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru

4) सभी एयर लाईन्स उनके संगठन द्वाराAll Airlines through Association.

5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ, ) पहला तल, वी.आई.टी.सी, भवन, कसतूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

6) सभी संरक्षकों / All Custodians

7) . बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट Bengaluru Customs Website

8) सूचनापट्ट /Notice Board.

9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (through Courier Association)

10) मास्टर फाईल/ Master file